[2019] 3 उम. नि. प. 393

रायल सुंदरम एलाएंस इंश्योरेंस कंपनी लि. (मैसर्स)

बनाम

मंडाला यादगारी गौड़ और अन्य

[2015 की सिविल अपील सं. 6600]

9 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौडर

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 163 – प्रतिकर का दावा – मोटर दुर्घटना में अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होना – प्रतिकर का अवधारण करने के लिए मृतक की आयु को गुणक की गणना करने के लिए विचार में लिया जाना – बीमा कंपनी द्वारा मृतक के आश्रितों की आयु को गुणक की गणना करने के लिए विचार में लिए जाने का अभिवाक् किया जाना – यह स्थिर विधि है कि प्रतिकर का अवधारण करने के लिए मृतक की आयु न कि उसके आश्रितों की आयु गुणक की गणना करने के लिए विचार में ली जाएगी चाहे मृतक विवाहित है या अविवाहित और स्थिर विधि में बार-बार परिवर्तन करना न तो अपेक्षित है और न ही न्यायोचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, मोटर दुर्घटना के मामले में अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृतक, जो अविवाहित था, की आयु के आधार पर प्रतिकर हेतु गुणक की गणना की गई थी । बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह अभिवाक् करते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई कि मृतक की आयु नहीं अपितु मृतक के आश्रितों की आयु को प्रतिकर का अवधारण करने हेतु विचार में लिया जाना चाहिए । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में विभिन्न घटकों के संबंध में प्रतिकर की रकम की गणना करने की बाबत, यथासंभव,

एक मानक फार्मूला नियत करने का प्रयास किया गया है । प्रतिकर की रकम का अवधारण, जो उन दावेदारों को संदत्त की जानी है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में आश्रित हैं, उस आधार पर किया जाएगा जो मृतक द्वारा उनकी सहायता के लिए योगदान किया गया होता । आश्रितों द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई रकम फिर संपदा का भाग बन जाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में लागू किए जाने वाले गुणक के लिए विचार में ली गई आयु सीमा की बजाय हो सकता है वे अधिक दिन जीवित रहें या उस सीमा से अधिक नौजवान हो सकते हैं । ऐसे दावे का अवधारण करने के लिए मृतक और यदि वह जीवित रहा होता तो आश्रितों के फायदे के लिए उनके प्रति उसका योगदान क्या होता, केन्द्र-बिंदु है । यह कहना अतिश्योक्ति है और वास्तव में बीमा कंपनी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा स्वीकार किया गया है कि यदि मृतक एक विवाहित व्यक्ति है तो मृतक की ही आयु को विचार में लिया जाना चाहिए । प्रश्न यह है कि यदि मृतक अविवाहित है, तो क्या गुणक की गणना करने के लिए दावेदारों की आयु पर ध्यान केंद्रित करके एक भिन्न सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए ? इस न्यायालय का यह मत है कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए । यह न्यायालय ऐसे मामलों में एक समान स्थिर सिद्धांत लागू करने के महत्व का भी उल्लेख कर सकती है । विधि की निश्चितता महत्वपूर्ण है । जब एक बार विधि स्थिर की गई है तो इसे बार-बार परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह बात ही भ्रम और मुकदमेबाजी का कारण बनती है । इसी उद्देश्य से इस न्यायालय ने प्रश्नगत विषय की बाबत विधिक सिद्धांत स्थिर करने का प्रयास किया है । (पैरा 8, 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 3 एस. सी. सी. 18 : **सूबे सिंह और एक अन्य** बनाम **श्याम सिंह (मृत) और अन्य** ;	4,11

[2017]	(2017) 16 एस. सी. सी. 600 : **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **प्रणय सेठी और अन्य** ;	4, 5, 11
[2015]	(2015) 6 एस. सी. सी. 347 : **मुन्ना लाल जैन और एक अन्य** बनाम **विपिन कुमार शर्मा और अन्य** ;	4, 11
[2013]	(2013) 9 एस. सी. सी. 65 : **रेशमा कुमारी और अन्य** बनाम **मदन मोहन और अन्य** ;	11
[2009]	(2009) 6 एस. सी. सी. 121 : **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य** ;	4, 11
[2007]	(2007) 10 एस. सी. सी. 643 : **मंजूरी बेरा (श्रीमती)** बनाम **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. और एक अन्य** ;	8
[2007]	(2007) 10 एस. सी. सी. 1 : **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **शांति पाठक (श्रीमती) और अन्य** ।	4

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2015 की सिविल अपील सं. 6600. (इसके साथ 2019 की सिविल अपील सं. 1953, 1954 और 2017 की सिविल अपील सं. 178)

2011 के मोटर दुर्घटना दावा प्रकीर्ण आवेदन (एम. ए. सी. एम. ए.) सं. 2339 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के तारीख 23 जनवरी, 2014 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जी. बालाजी, युनूस मलिक, अनिश महेश्वरी, (सुश्री) सरोज बाला, अमन मलिक, संजीव अग्रवाल, कारी

वेंकटा रेड्डी, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, शिवनाथ त्रिपाठी, सत्येंद्र कुमार चौहान और अरविंद एस. अवहद

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री के. के. भट, रंजन कुमार पांडे, (सुश्री) गरिमा प्रसाद, जे. डी. एन. शाही और एम. के. दुआ

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दिया ।

न्या. कौल – इन मामलों में, जो प्रति-अपीलों की प्रकृति के हैं, हमारे समक्ष उठाया गया एकमात्र विधिक विवाद्यक यह है कि किसी मोटर दुर्घटना के मामले में जहां ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो अविवाहित है, वहां गुणक की गणना करने के लिए मृतक की आयु विचार में ली जाएगी या आश्रितों की आयु ।

2. 2015 की सिविल अपील सं. 6600 में अपीलार्थी बीमा कंपनी है, जिसके काउंसेल ने यह दलील दी कि आश्रितों की आयु को विचार में लिया जाना चाहिए और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने मृतक की आयु के आधार पर गुणक लेकर गलती की है ।

3. विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील का समर्थन करने के लिए, निर्देश के प्रयोजन हेतु, निर्णयों के दो संकलन फाइल किए जिनमें एक उसके विरुद्ध है और एक उसके पक्ष में है । हमने विद्वान् काउंसेल से यह विनिर्दिष्ट प्रश्न किया कि क्या इस विवाद्यक से संबंधित कोई तीन न्यायाधीशों की पीठ का विनिश्चय है, क्योंकि कई सारे निर्णयों पर विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं था और इस बारे में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया अंतिम मत क्या था ।

4. विद्वान् काउंसेल ने माना कि **सूबे सिंह और एक अन्य** बनाम **श्याम सिंह (मृत) और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विवाद्यक पर विचार किया था और यह राय व्यक्त की थी कि मृतक की आयु ही गुणक का आधार होनी चाहिए ।

---

[1] (2018) 3 एस. सी. सी. 18.

तथापि, विद्वान् काउंसेल की दलील यह है कि इस निर्णय को पढ़ने से यह दर्शित होता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए **मुन्ना लाल जैन और एक अन्य** बनाम **विपिन कुमार शर्मा और अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया था । **मुन्ना लाल जैन** (उपर्युक्त) वाले मामले में **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य** बनाम **दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य**[2] वाले मामले का अवलंब लिया गया था और कथित रूप से **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **प्रणय सेठी और अन्य**[3] वाले मामले में संविधान पीठ द्वारा उस मत की अभिपुष्टि की गई थी । यह दलील दी गई कि एक सिलसिलेवार गलती हुई है क्योंकि **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले का संबंध एक अविवाहित मृतक के मामले से नहीं था और इस प्रकार **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में दी गई स्वीकृति मायने नहीं रखती है । इस प्रकार, **सूबे सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इन दृष्टिकोणों की मात्र अभिपुष्टि से भी यह विधिक स्थिति स्थिर नहीं हो जाती है । दूसरी ओर, दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय हैं जिनमें यह विपरित दृष्टिकोण अपनाया गया है कि किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में गुणक आश्रितों की आयु के आधार होना चाहिए न कि मृतक की आयु के आधार पर । विद्वान् काउंसेल ने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **शांति पाठक (श्रीमती) और अन्य**[4] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश के प्रति भी निर्देश किया, किन्तु यह निर्देश ऐसा है जो निर्विवाद रूप से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर किया गया न्यायनिर्णयन है ।

5. जहां तक दावेदारों द्वारा फाइल की गई अपील का संबंध है, यह विवादग्रस्त नहीं है कि 30 प्रतिशत भावी सम्भाव्यता के लिए अनुदत्त किया गया है, और हमारे समक्ष इसमें वृद्धि करने की ईप्सा करते हुए यही एकमात्र पहलू है । इस बारे में हमें यह बताया गया कि वास्तव में **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निबंधनों के अनुसार 40

---

[1] (2015) 6 एस. सी. सी. 347.

[2] (2009) 6 एस. सी. सी. 121.

[3] (2017) 16 एस. सी. सी. 600.

[4] (2007) 10 एस. सी. सी. 1.

प्रतिशत अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए था ।

6. हमने विवाद्य विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है ।

7. किसी मोटर यान के लिए बीमा की संकल्पना दुर्घटना की दशा में जोखिम को कवर करना है । बीमा पालिसी तृतीय पक्षकारों सहित क्षति या मृत्यु के व्यक्तिगत जोखिम को कवर करती है । इस निमित्त प्रभारित प्रीमियम एकसमान है ।

8. इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों में विभिन्न घटकों के संबंध में प्रतिकर की रकम की गणना करने की बाबत, यथासंभव, एक मानक फार्मूला नियत करने का प्रयास किया गया है । प्रतिकर की रकम का अवधारण, जो उन दावेदारों को संदत्त की जानी है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में आश्रित हैं, उस आधार पर किया जाएगा जो मृतक द्वारा उनकी सहायता के लिए योगदान किया गया होता । आश्रितों द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई रकम फिर संपदा का भाग बन जाती है क्योंकि ऐसी स्थिति में लागू किए जाने वाले गुणक के लिए विचार में ली गई आयु-सीमा की बजाय हो सकता है वे अधिक दिन जीवित रहें या उस सीमा से अधिक नौजवान हो सकते हैं । अत:, त्रुटि के बिना दायित्व के सिद्धांत के आधार पर प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व, जैसा कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 में उपबंधित है, के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि भले ही आश्रिता की कोई हानि न हुई हो, परिमाणन उस रकम और उस सीमा से कम नहीं हो सकता है जो रकम मृतक की संपदा का भाग बनती । **[मंजूरी बेरा (श्रीमती)** बनाम **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. और एक अन्य**[1] वाला मामला देखें]

9. ऐसे दावे का अवधारण करने के लिए मृतक और यदि वह जीवित रहा होता तो आश्रितों के फायदे के लिए उनके प्रति उसका योगदान क्या होता, केन्द्र-बिंदु है । यह कहना अतिश्योक्ति है और वास्तव में बीमा कंपनी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा स्वीकार

---

[1] (2007) 10 एस. सी. सी. 643.

किया गया है कि यदि मृतक एक विवाहित व्यक्ति है तो मृतक की ही आयु को विचार में लिया जाना चाहिए । प्रश्न यह है कि यदि मृतक अविवाहित है, तो क्या गुणक की गणना करने के लिए दावेदारों की आयु पर ध्यान केंद्रित करके एक भिन्न सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए ? हमारा यह मत है कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए ।

10. हम ऐसे मामलों में एक समान स्थिर सिद्धांत लागू करने के महत्व का उल्लेख कर सकते हैं । विधि की निश्चितता महत्वपूर्ण है । जब एक बार विधि स्थिर की गई है तो इसे बार-बार परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह बात ही भ्रम और मुकदमेबाजी का कारण बनती है । इसी उद्देश्य से इस न्यायालय ने प्रश्नगत विषय की बाबत विधिक सिद्धांत स्थिर करने का प्रयास किया है ।

11. **सुबे सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले के निर्णय के अनुशीलन से यह दर्शित होता है कि उसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि मृतक की आयु न कि माता-पिता की आयु लागू किया जाने वाला गुणक लेने के प्रयोजनों के लिए कारक होगा । इस निर्णय में निससंदेह **मुन्ना लाल जैन** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लिया गया था जो कि इस निमित्त तीन न्यायाधीशों की पीठ का ही निर्णय है । निर्णय के सुसंगत भाग को भी उद्धृत किया गया था । एक बार पुन:, उद्धृत भाग में **रेशमा कुमारी और अन्य** बनाम **मदन मोहन और अन्य**[1] वाले मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को निर्दिष्ट किया गया था । **रेशमा कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले के सुसंगत भाग में **सरला वर्मा** (उपर्युक्त) मामले को निर्दिष्ट किया गया था और उससे अपनी सहमति व्यक्त की थी । इस प्रकार, यह उल्लेख किया गया है कि आश्रिता की हानि :- (i) आय निकालने के लिए किए गए परिवर्धन/कटौतियां ; (ii) मृतक के निजी निर्वाह के खर्चों के प्रति की जाने वाली कटौतियां, और (iii) मृतक की आयु के संदर्भ में लागू किए जाने वाले गुणक पर आधारित होनी चाहिए । तीसरा पहलू है जो महत्वपूर्ण है और **रेशमा कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में स्पष्ट रूप से

---

[1] (2013) 9 एस. सी. सी. 65.

उल्लेख किया गया है कि इस निमित्त सरला वर्मा वाले मामले में स्थिर की गई विधि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

12. इतना ही नहीं, **प्रणय सेठी** (उपर्युक्त) वाले पश्चात्वर्ती मामले के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में भी **सुबे सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले को गुणक की गणना करने के लिए प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया गया था ।

13. हम आश्वस्त हैं कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के पूर्वोक्त निर्णयों द्वारा स्थिर किए गए और संविधान पीठ के निर्णय का अवलंब लेते हुए भी इस मुद्दे पर एक बार पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

14. पूर्वोक्त एकमात्र विवाद्यक है जो बीमा कंपनी द्वारा उठाया गया है, हम बीमा कंपनी द्वारा फाइल की गई अपील को गुणागुण रहित पाते हैं ।

15. हमने पहले ही उल्लेख किया है कि जहां तक दावेदारों का संबंध है, उन्हें भावी संभाव्यताओं के लिए पहले ही युक्तियुक्त रकम से अधिक रकम प्रदान की गई है और इस आधार पर भी आक्षेपित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

16. परिणाम यह है कि दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं और पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे । लंबित आवेदन, यदि कोई है, का निपटारा हो जाता है ।

17. 2015 की सिविल अपील सं. 6600, जिसका शीर्षक **मैसर्स रायल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **मंडाला यादगारी गौड़ और अन्य** है, में आज यह राय व्यक्त करते हुए सुनाए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में मृतक की आयु ही न कि आश्रितों की आयु गुणक के लिए आधार होनी चाहिए, यह अपील भी खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि इसमें केवल यही अभिवाक् किया गया है । लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाता है ।

2017 की सिविल अपील सं. 178

18. 2015 का सिविल आवेदन सं. 6600 जिसका शीर्षक **मैसर्स रायल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **मंडाला यादगारी गौड़ और अन्य** है, में आज दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत मामले में मृतक की आयु के आधार पर गुणक 16 होगा, न कि आक्षेपित आदेश के अनुसार । अब उसको ध्यान में रखते हुए संदेय रकम निम्न प्रकार होगी :–

क्रम सं.	विशिष्टियां	यान दुर्घटना दावा अधिकरण	उच्च न्यायालय	संदेय
1.	वेतन	7242/- रुपए	7242/- रुपए	7242/- रुपए
2.	वार्षिक आय	86,904 (7242x12)	86,904 (7242x12)	86,904 (7242x12)
3.	भावी संभाव्यता जोड़कर	शून्य	शून्य	50% = 1,30,356/- रुपए
4.	कम किया गया	1/3	50%	50% = 65,178/- रुपए
5.	गुणक	8 (माता-पिता की औसत आयु के अनुसार पर = 57½ वर्ष	11 (माता-पिता की औसत आयु 54 और 53 वर्ष)	16 (मृतक की आयु) (65,178 X 16 = 10,42,848/- रुपए)
6.	सहचारिता की हानि	2000/- रुपए	2000/- रुपए	2000/- रुपए
7.	कुल	4,65,488/- रुपए	4,79,972/- रुपए	10,72,848/- रुपए
8.	भिन्नता	शून्य	शून्य	शून्य
9.	ब्याज	9%	9%	9%

19. हम यह उल्लेख कर सकते है कि प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील देनी चाही कि गुणक के कारण जो एकमात्र परिवर्तन किया गया है, अपील में यह अभिवाक् किया ही नहीं गया है । तथापि, हमारा यह निष्कर्ष है कि इस मुद्दे को कवर करने के लिए विशेष इजाजत याचिका का आधार (4) पर्याप्त व्यापक है । इस प्रकार, यह अपील पूर्वोक्त सीमा तक मंजूर की जाती है । लंबित आवेदन का, यदि कोई हो, निपटारा हो जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.

[2019] 3 उम. नि. प. 402

कुमार घिमिरे

बनाम

सिक्किम राज्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 719]

22 अप्रैल, 2019

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 386, 390, 391 और 401 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ड), 6, 9 और 10 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 341] – अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की अभिपुष्टि करते हुए दंडादेश में वृद्धि किया जाना – अभियुक्त को सूचना न दिया जाना – उच्च न्यायालय धारा 386(ख)(iii) के साथ पठित धारा 401 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंडादेश में वृद्धि कर सकता है, किंतु यदि विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दंडादेश में ऐसी वृद्धि करने के संबंध में अभियुक्त को सूचना देकर सुने जाने का